

जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, सिमडेगा के अन्तर्गत निम्नलिखित मशीन उपकरण एवं Drug Kit क्रय हेतु लक्ष्य प्रतिष्ठित निर्माता या उनके अधिकृत विक्रेताओं से निम्नलिखित शर्तों के साथ मुहरबन्द निविदा दिनांक 26.12.2011 के अपराहन 3.00 बजे तक सिविल सर्जन कार्यालय आमंत्रित की जाती है। निर्धारित तिथि के बाद निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदा दिनांक 26.12.2011 के अपराहन 4.00 बजे सिविल सर्जन के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जायेगा। निविदा मशीन उपकरण की सूची निम्नवत् है।

1) MVA/EVA Kit - Per Set, 2) Equipment Tray for MTP – Per Set, 3) Medical Abortion Kit – Per Set, 4) SBA Kit – Per Set, 5) Asha Drug Kit – Per Set, 6) Essential Obstetric Care Drug Kit – Per Set, 7) Emergency Obstetric Care Drug Kit for FRU – Per Set & 8) Drug Kit for FRU / CHC – Per Set

अल्पकालीन निविदा की शर्तें :-

निविदा दो भागों में देना अनिवार्य होगा। तकनीकी एवं वित्तीय। निविदादाता के तकनीकी भाग पूर्ण पाये जाने पर ही वित्तीय बी-विचार किया जायेगा।

तकनीकी भाग/वित्तीय भाग

1. संबंधित निविदादाता के अध्यक्षतन वर्ष का विक्रीकर/स्वच्छता प्रमाण पत्र/आयकर चुकता प्रमाणपत्र/वाणिज्यकर प्रमाणपत्र/अप्रमाणपत्र/संस्था काली सूची में नहीं, का शपथपत्र / PAN No. एवं TIN No. की छायाप्रति / तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रेति बैलेंससीट / निविदादाता को अग्रघन की राशि 5000/-रु0 (पांच हजार) सिविल सर्जन सिमडेगा के पद नाम से SBI में Paya Bank Draft निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा रद्द किया जा सकता है। वित्तीय भाग – निविदा में 3 मूल्य सभी कर (वैट) सहित कम्प्यूटर द्वारा अंकित होना चाहिए।

अन्य शर्तें :-

1. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर मशीन उपकरण / Drug Kit इत्यादि आपूर्ति सिविल सर्जन कार्यालय भण्डार, सिमडेगा में करना अनिवार्य होगा अन्यथा आपूर्ति आदेश रद्द किया जा सकता है।
2. मशीन उपकरण / Drug Kit इत्यादि ISI मार्का अथवा मानक स्तर का होना चाहिए। उनके नाम के सामने निर्माता कंपनी का लिखा होना आवश्यक है।
3. निविदा खुलने के समय मशीन उपकरण / Drug Kit इत्यादि का नमूना/कैटलॉग लाना अनिवार्य होगा।
4. निविदा को बिना कारण बताये पूर्णतः या अंशतः स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार अघोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
5. मशीन उपकरण / Drug Kit इत्यादि की आपूर्ति हेतु अलग से कोई अतिरिक्त परिवहन राशि देय नहीं होगा।
6. वैट की राशि सिविल सर्जन द्वारा कोषागार में जमा किया जाएगा।

2/12/11

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिमडेगा।